मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रेवारी– कानपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (437 किमी0 लगभग) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 04–05–2012 को प्रातः 11:00 बजे, कलेक्ट्रेट माती, जनपद– रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/अध्यक्ष लोकसनुवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोकसुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या **एफ 01302/सी–2/एन0ओ0सी0/3734/2012** दिनॉक **21–03–2012** एवं जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा उक्त परियोजना की लोकसनुवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्रों (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) में दिनॉक **30–03–2012** को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक **04–05–2012** को **पूर्वाह्न 11:00** बजे ***कलेक्ट्रेट माती, जनपद– रमाबाई नगर*** में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई की आम सूचना स्थानीय हिन्दी "दैनिक जागरण" एवं अंग्रेजी "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार पत्र में दिनॉक **30–03–2012** को प्रकाशित की गयी थी जिसकी छायाप्रतियॉ संलग्न हैं। **(संलग्नक – 1)**।

लोकसुनवाई की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद– रमाबाई नगर द्वारा की गयी। लोकसुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों में डा0 (श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री वी0के0 मिश्रा, सहा0पर्या0अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री एच0सी0जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर श्री ए0के0 जैन, उपमहाप्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, श्री तुषार कांत झा, प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0 नई दिल्ली एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं रसूलपुर लोदीपुर एवं गोगूमऊ आदि ग्रामों के ग्रामवासी उपस्थित थे। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अवसर पर उपस्थित सदस्यों की सूची की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक– 2)**।

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, जनपद– रमाबाई नगर के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0 द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, द्वारा रेवाड़ी–कानपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट (437 किमी0 लगभग) के रेवाड़ी से कानपुर देहात स्थित रसूलपुर, गोगूमऊ एवं लोदीपुर तहसील अकबरपुर, जनपद– रमाबाई नगर में तेल भण्डारण (टर्मिनल) स्थापना का प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0– एस0ओ0 1533 अ दिनॉक 14–09–06 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 ई0 दिनॉक 01–12–09 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। इसी के अनुणलनार्थ दिनॉक **04–05–2012** को इस लोकसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यद्यापि परियोजना के सम्बन्ध में सक्षिंप्त विवरण हिन्दी एवं अग्रेंजी में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के साथ कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर नगर अधिकारी, जिला पंचायत, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र में इस लोक सुनवाई हेतु प्रकाशित विज्ञापन के उपरान्त आम जनता के अध्ययन के उपरान्त परियोजना के सम्बन्ध में सुझाव, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति हेतु प्रेषित किया गया था। आज तक कोई टिप्पणी इस सम्बन्ध में प्राप्त नही हुई है। पुनः आज आयोजकों द्वारा उपस्थित जन समूह के सम्मुख परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा आज यहा की जायेगी। परियोजना के सम्बन्ध में आयोजकों से विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया।

क्रमशः.........

SChaturvedi

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोशनाई

परियोजना के सम्बन्ध में श्री तुषार कान्त झा प्रबन्धक एच0पी0सी0एल0 नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि एच0पी0सी0एल0 भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल शोधन, विपणन एवं पेट्रालियम उत्पादों के वितरण में कार्यरत नवरत्न कम्पनी है। कम्पनी के पास देश भर में विपणन, वितरण के बुनियादी ढांचे एवं व्यापक नेटवर्क के साथ स्वयं की दो एवं संयुक्त उपकम की दो रिफाइनरी एवं स्वयं की लगभग 2500 किमी0 लम्बाई वाली उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण के लिये पाइप लाइनें हैं।

उ0प्र0 एवं मध्य भारत में पेट्रोलियम की बढ़ती हुई मॉग की आपूर्ति हेतु एच0पी0सी0एल0 ने रेवाड़ी से कानपुर तक लगभग 437 किमी0 लम्बी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है जो एच0पी0सी0एल0 के मौजूदा भरतपुर एवं मथुरा डिपो होते हुए रमाबाई नगर में रसूलपुर, गोगूमऊ एवं लोदीपुर में समाप्त होगी। जहॉ पर मार्केटिंग टर्मिनल की स्थापना की जायेगी। टर्मिनल में पेट्रोल, डीजल तथा केरोसीन तेल के भण्डारण एवं रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा प्रेषण की व्यवस्था रहेगी। प्रस्तावित टर्मिनल कानपुर शहर से पश्चिम में लगभग 30 किमी0 दूर रसूलपुर, गोगूमऊ एवं लोदीपुर मे स्थित होगा जिसमें डीजल के पॉच पेट्रोल के छः केरोसीन ऑयल के तीन एवं स्लोप ऑयल के दो टैंक निर्मित किये जायेंगे। टर्मिनल में सुरक्षा, अग्निशमन आदि सुविधाओं का नियमानुसार प्राविधान किया जायेगा। सम्पूर्ण टर्मिनल में ऑटोमेशन नियंत्रण तथा संचार प्रणाली स्थापित की जायेगी। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित किया जायेगा। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित कर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जायेगी।

परियोजना की चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष लोकसुनवाई की अनुमति से सभा में उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये निम्नांकित प्रश्नों के सापेक्ष श्री ए0के0 जैन, उप महाप्रबन्धक एच0पी0सी0एल0 द्वारा निम्नांकित उत्तर दिये गये।

सर्वप्रथम श्री विजयभान कुशवाहा, ग्राम प्रधान लोदीपुर, तहसील–अकबरपुर, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उपस्थित जन समुदाय से किसी भी प्रकार की समस्या सुझाव या टिप्पणी व्यक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रश्न 1– **यह परियोजना जमीन के अन्दर बनेगी या जमीन के ऊपर इसमें हमारी भूमि जायेगी या नही ? हम उस जमीन में खेती कर पायेंगे या नही ? (धर्मेन्द्र पाल, ग्राम– ररूआ, रमाबाई नगर)**

उत्तर– कानपुर एवं उत्तर भारत में पेट्रोल की काफी मॉग है परियोजना की स्थापना हेतु स्थानीय जमीन टर्मिनल हेतु अधिगृहीत की जायेगी। इसमे अधिगृहीत प्लांट की जमीन पर खेती नही की जा सकेगी तथा पाइप लाइन जमीन के नीचे रहेगी एवं तेल के टैंक जमीन के ऊपर रहेंगे। (श्री ए0के0 जैन, उप महाप्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0)

प्रश्न 2– **हमारी एवं हमारे ग्राम वासियों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है जमीन अधिगृहण के उपरान्त हमे क्या सुविधा मिलेगी ? क्या भू विस्थापितों को नौकरी दी जायेगी ? (श्री जगतनाथ सिंह सेंगर, ग्राम– लोदीपुर, रमाबाई नगर)**

उत्तर– यह सभा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गयी है परियोजना हेतु जमीन अधिगृहण का कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से किया जायेगा एवं अधिगृहीत जमीन का मुआवज़ा उ0प्र0 लैण्ड इक्विजेशन एक्ट के तहत नियमानुसार किया जायेगा। इस पर अध्यक्ष लोक सुनवाई द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि अधिगृहण ए0डी0एम0 लैण्ड इक्विजेशन द्वारा भू विस्थापितों के साथ बैठकर मूल्य निर्धारण करेंगे एवं भूमि का अधिगृहण आपकी सहमति से ही किया जायेगा और सहमति से ही मूल्य तय किया जायेगा। यद्यपि यह परियोजना व्यापक जनहित में है इस परियोजना में विस्थापितों को नौकरी दिया जाना आसान नही होगा क्योंकि प्लांट में सब कुछ ऑटोमैटिक होगा लेकिन इस परियोजना में टैंकर्स तेल के परिवहन हेतु प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होंगे उन्होने विस्थापितों को यह सुझाव दिया कि वह जमीन से मिलने वाली धनराशि से तेल टैंकर खरीदे और आयोजको को सुझाव दिया कि

Shatuved

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोशनाई

वह विस्थापितों के टैंकर्स प्लांट में प्रयोग करने हेतु वरीयता दें। इस पर उप महाप्रबन्ध एच0पी0सी0एल0 ने इस प्रस्ताव को एच0पी0सी0एल0 प्रबन्धन के सम्मुख विचारार्थ प्रेषित करने हेतु सहर्ष स्वीकृति व्यक्त की।

(श्री ए0के0 जैन, उप महाप्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0)

प्रश्न 3– गॉव में कुल दस प्रतिशत किसान ही टैंकर खरीद पायेंगे शेष 90 प्रतिशत किसानों के लिये परियोजना में क्या प्राविधान होगा ? (श्री कुलदीप सिंह, रसूलपुर, गोगुमऊ, रमाबाई नगर)

उत्तर– परियोजना के निर्माण के दौरान क्षेत्रीय लोग कार्य कर सकते हैं परिचालन में भी बहुत कॉन्ट्रेक्टर्स की आवश्यकता होगी एवं अन्य छोटे–छोटे कार्य भी होंगे जिसमे इन किसानों को कार्य करने हेतु योग्यतानुसार अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। (श्री ए0के0 जैन, उप महाप्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0)

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से जानकारी चाही गयी कि क्या इस परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव से आप सहमत हैं ? इस पर उपस्थित जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर अपनी सहमति व्यक्त की गयी। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभा समापन की घोषणा की।

उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त कोई मुद्दा लोकसुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। उक्त सुनवाई के समय उपस्थित जन समुदाय ने इस परियोजना प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रेवाड़ी– कानपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट सम्मिलित टर्मिनल जो कि ग्राम– रसूलपुर, गोगुमऊ एवं लोदीपुर तहसील–अकबरपुर, जनपद– रमाबाई नगर में स्थापित होगा, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर आयोजित स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

(डा0(श्रीमती) शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद– रमाबाई नगर।
04/05/12

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोशनाई
रनिया, रमाबाई नगर

(भरत जी पाण्डेय)
अध्यक्ष, लोकसुनवाई/
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
जनपद– रमाबाई नगर।

मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रेवारी– कानपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (437 किमी0 लगभग) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (इ) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 04–05–2012 को प्रातः 11:00 बजे, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष माती, जनपद– रमाबाई नगर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसनुवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों का विवरण।

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष/मो0संख्या	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	9454416410	[signature]
2.	[illegible]	R.O. U.P.P.C.B. 4/5/12	9415045189	[signature]
3.	Er. V.K. Mishra A.E.E.	U.P.P.C.B. Ramabai Nagar	9721000027	[signature] 4/5/12
4.	H.C. Joshi A.S.O	U.P.P.C.B. Ramabai Ngr	8765434747	[signature]
5	Dr. D. L. Bhatt	Secon P. Ltd.	9904404242	[signature]
6	Sunny S. Surti	Secon Pvt. Ltd.	9904404243	[signature]
7	Rohit Vankar	NEERI, Nagpur	9860676242	[signature]
8	Tushmkant Jha	HPCL Scope minar Dist. centre New Delhi.	9311903330	[signature]
9.	Siddhartha Dua	HPCL Scope minar Complex New Delhi	9871579071	[signature]
10.	Mohit Krishna	HPCL, RKPL, Kanpur	8004922654	[signature]

मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रेवारी– कानपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (437 किमी0 लगभग) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 04–05–2012 को प्रातः 11:00 बजे, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष माती, जनपद– रमाबाई नगर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों का विवरण।

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष/मो0संख्या	हस्ताक्षर
(1)	[illegible]	रसूलपुर	9415733596	[signature]
(2)	Vijay Bhan Kushwaha	Lodipur (Pradhan)	9794173890	Vijay Bhan
(2)	सुनील सिंह	रसूलपुर	9793641746	[signature]
(3)	बड़ी विशालसिंह	रसूलपुर ~~[illegible]~~	9935969903	[signature]
(4)	रामशंकर तिवारी	गोगूमऊ	8052726868	रामशंकर तिवारी
(5)	पुत्तापुरी	गोगूमऊ	9695177709	[signature]
(6)	शशिकान्त	गोगूमऊ	8726577926	शशिकान्त
(7)	[illegible] कुमार	लोदीपुर		[signature]
8	[illegible] सिंह	लोदीपुर		[illegible] सिंह
9				
10	प्रह्लादपाल	लोदीपुर		प्रह्लाद
11	जीतू सिंह	रसूलपुर		जीतू सिंह
12	शिवसिंह कुशवाह	लोदीपुर	8726448003	[signature]
13	रामकिशोर सिंह	रसूलपुर गोगूमऊ	9005449731	रामकिशोर सिंह
14	विकास सिंह	रसूलपुर गोगूमऊ		विकास सिंह
15	राम[illegible]	रसूलपुर गोगूमऊ		[signature]
16	सुमित	गोगूमऊ		सुमित
17	हिमांशु द्विवेदी	गोगूमऊ	9936337891	[signature]
18	जयपाल	बिगाही	9918626150	जयपाल

क्र0सं0	नाम	पता	दूरभाष / मो0संख्या	हस्ताक्षर
19	हरीराम	गोगू मऊ	9935524603	हरीराम
20	तुलसीराम	गोगू मऊ		तुलसीराम
21	विनय कुमार शुक्ला	भौली	9336819847	विनय शुक्ला
22	सुबोध शुक्ला	भौली	8090438211	पप्पु शुक्ला
23	[illegible] सिंह	गोगू मऊ	9838361321	[illegible]
24	विक्रम सिंह	लोधीपुर	9838847561	[illegible]
25	सुरजीत कुशवाहा	गोगू मऊ	—	[illegible]
26	[illegible] तिवारी	[illegible]	9336200070	[illegible]
27	[illegible] कुमार	गोगू मऊ	9838751327	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]		[illegible]
29	[illegible] सिंह	रसूलपुर	9005869945	[illegible] सिंह
30	सचिन	रसूलपुर	7687108856	सचिन
31	राजू	गोगू मऊ	933699[illegible]	[illegible]
32	महेश	रसूलपुर		महेश
33	नौशाद	लोधीपुर		नौशाद
34	अशोक	लोधीपुर		अशोक
35	मुन्ना खाँ	लोधीपुर		मुन्ना
36	अमराज	रसूलपुर		अमराज
37	महेन्द्र कुमार	रसूलपुर	8127998252	महेन्द्र कुमार
38	हरीशंकर	रसूलपुर	9795704401	हरीशंकर
39	देशराज	रसूलपुर	8932003499	देशराज
40	Wand	LODIPUR		Wand
41	Ancop	Lodhipur	9695807212	Anoop
42	रामआसरे	रसूलपुर लोधीपुर		रामआसरे

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष / मो0संख्या	हस्ताक्षर
43	मिश्रीलाल	रसूलपुर		मिश्रीलाल
44	श्रीबाबू	रसूलपुर गोगमऊ	9839342104	श्रीबाबू
45	बाबूराम पाल	रसूलपुर		बाबूराम पाल
46	श्रीराम	गोगमऊ		श्रीराम
47	रजोल	ग्रा० रसूलपुर म० कादीपुर	9621314425	रजोल
48	चन्द्रपाल	ग्राम रसूलपुर		चन्द्रपाल
49	विनोद पाल	ग्राम म० रसूलपुर	8009956073	विनोद पाल
50	[illegible]	ग्राम रसूलपुर गोगमऊ		[illegible]
51	छोटे लाल	ग्राम रसूलपुर गोगमऊ		
52	लक्ष्मण	रसूलपुर गो०		लक्ष्मण
53	रामेश्वर	रसूलपुर		रामेश्वर
54	किशोरीलाल	रसूलपुर गोगमऊ		किशोरी लाल
55	सन्तोष	रसूलपुर गोगमऊ		सन्तोष
56	अशोक	रसूलपुर		अशोक
57	ओमशंकर	गोगमऊ		ओमशंकर
58	Ishfaq Ahmad	Rasulpur		Ishfaq Ahmad
59	रसूलपुर	गोगमऊ		राजकुमार
60	सोनेलाल	गोगमऊ		सोनेलाल
61	कल्लू	गोगमऊ		कल्लू
62	मोतीलाल	रसूलपुर गोगमऊ		मोती लाल
63	अनूप	मोहीपुर		अनूप
64	महेन्द्र सिंह	तरौना		महेन्द्र सिंह
65	[illegible]	[illegible]		[illegible]
66	रामचन्द्र	गोगमऊ		रामचन्द्र

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष / मो0संख्या	हस्ताक्षर
67	Kuldeep Singh	Rasoolpur Gaganmau		[illegible]
68	रामनाथ	रसूलागं		रामनाथ
69	Rajnarayan	Rasoolpur gaganmau		[illegible]
70	राजेन्द्र	गौमूमऊ		राजेन्द्र
71	दूदू लाल			शिवराम साहू
72	शिवराम साहू			गुड्डू सिंह
73	गुड्डू सिंह			
74	[illegible]	गोगमऊ		[illegible]
75	बद्दलाल / सेवक	गोगमऊ		
	बद्दू			बदलू

दैनिक जागरण कानपुर, 30 मार्च 2012

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ, जनपद-रमाबाई नगर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा रेवारी-कानपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (437 किमी. लगभग) हेतु लोक सुनवाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा रेवारी-कानपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट जो कि 437.0 किमी. तहसील-अकबरपुर, जनपद- रमाबाई नगर तक होगी।

बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 के अनुपालन में लोक सुनवाई कलेक्ट्रेट सभाकक्ष माती, जनपद- रमाबाई नगर में दिनांक 04.05.12 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की जायेगी उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार एवं टीका टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, रमाबाई नगर।
2. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रमाबाई नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियां, रमाबाई नगर।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, रमाबाई नगर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष माती, जनपद- रमाबाई नगर में दिनांक 04.05.12 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा सुझाव व आपत्तियाँ लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

/03/2012